➢ समय सारिणी :—

एक पारी विद्यालयों हेतु समय सारिणी निम्नानुसार होगी :

क्र.सं.	विवरण	ग्रीष्मकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन	शीतकाल में विद्यालय संचालन हेतु कालांश विभाजन
1	समयावधि	1 अप्रेल से 30 सितम्बर	1 अक्टूबर से 31 मार्च
2	विद्यालय समय (संस्था प्रधान हेतु)	7:50 बजे से 2:10 बजे तक (कुल 6:20 घंटे)	9:20 बजे से 3:40 बजे तक (कुल 6:20 घंटे)
3	विद्यालय समय (शिक्षकों हेतु)	8:00 बजे से 2:10 बजे तक (कुल 6:10 घंटे)	9:30 बजे से 3:40 बजे तक (कुल 6:10 घंटे)
4	विद्यालय समय (विद्यार्थियों हेतु)	8:05 बजे से 2:10 बजे तक (कुल 6:05 घंटे)	9:35 बजे से 3:40 बजे तक (कुल 6:05 घंटे)
5	प्रार्थना सभा एवं योगाभ्यास	8:05 बजे से 8:35 बजे तक (30 मिनट)	9:35 बजे से 10:05 बजे तक (30 मिनट)
6	प्रथम कालांश	8:35 बजे से 9:15 बजे तक (40 मिनट)	10:05 बजे से 10:45 बजे तक (40 मिनट)
7	द्वितीय कालांश	9:15 बजे से 9:55 बजे तक (40 मिनट)	10:45 बजे से 11:25 बजे तक (40 मिनट)
8	तृतीय कालांश	9:55 बजे से 10:35 बजे तक (40 मिनट)	11:25 बजे से 12:05 बजे तक (40 मिनट)
9	चतुर्थ कालांश	10:35 बजे से 11:15 बजे तक (40 मिनट)	12:05 बजे से 12:45 बजे तक (40 मिनट)
10	मध्यान्तर	11:15 बजे से 11:40 बजे तक (25 मिनट)	12:45 बजे से 01:10 बजे तक (25 मिनट)
11	पंचम कालांश	11:40 बजे से 12:20 बजे तक (40 मिनट)	01:10 बजे से 01:50 बजे तक (40 मिनट)
12	षष्ठम कालांश	12:20 बजे से 01:00 बजे तक (40 मिनट)	01:50 बजे से 02:30 बजे तक (40 मिनट)
13	सप्तम कालांश	01:00 बजे से 01:35 बजे तक (35 मिनट)	02:30 बजे से 03:05 बजे तक (35 मिनट)
14	अष्टम कालांश	01:35 बजे से 02:10 बजे तक (35 मिनट)	03:05 बजे से 03:40 बजे तक (35 मिनट)

➢ **नोट :—** शैक्षिक गुणवत्ता के लिए मुख्य विषयों के लिए शिक्षण का कार्य यथासंभव प्रथम छः कालांश में निर्धारित किया जाए। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सहशैक्षिक गतिविधियों यथा—खेलकूद, वाद—विवाद प्रतियोगिता, भाषण, निबन्ध—लेखन इत्यादि पर विशेष ध्यान दिया जाए।

1. जहाँ तक संभव हो, समस्त विद्यालय एक पारी में चलाए जाएंगे। जो विद्यालय वर्तमान में दो पारी में चल रहे हैं तथा विद्यालय की परिस्थितिवश आगामी सत्र में भी दो पारी/ आंशिक दो पारी में संचालन आवश्यक है, उनके संस्था प्रधान औचित्यपूर्ण प्रस्ताव संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/ माध्यमिक) को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारम्भिक/ माध्यमिक) परीक्षणोपरांत स्पष्ट अनुशंसा सहित जिले के समेकित प्रस्ताव मंडल उपनिदेशक को 15 जुलाई, 2018 तक प्रस्तुत करेंगे तथा मंडल उपनिदेशक सम्पूर्ण परिक्षेत्र के प्राप्त प्रस्तावों पर विभागीय निर्देशों के अनुरूप गुणावगुण के आधार पर 31 जुलाई, 2018 तक सकारण आदेश जारी कर निदेशालय (प्रारम्भिक/माध्यमिक) को अवगति प्रदान करेंगे।